

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग कानपुर

पत्रांक 1351 / 14-1 दिनांक कानपुर, 10-10-2017

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

विषय:- कानपुर नगर में कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जी0टी0रोड किमी0 0.00 से 10.97 तक (कल्यानपुर से बिदूर तक) चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण किये जाने हेतु 6.011 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 137 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्रांक 8बी/यू0पी0 /06/19/2017/एफ0सी0/309 दिनांक 18.09.2017 एवं आपका पत्रांक- 766/ कानपुर/22879/2016 दिनांक 18.09.2017।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा विषयक प्रकरण में (आर0ई0सी0) में लिये गये निर्णय में दिये गये निर्देशों के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित की गयी ग्राम हालामऊ तहसील बिल्हौर जिला कानपुर की भूमि की के0एम0एल0 फॉइल, GeoReference Map एवं सर्वे ऑफ इण्डिया की चिन्हित टो0पो0 सीट की तीन-तीन प्रतियां संलग्न कर तथा ऑन लाइन प्रस्ताव में अपलोड कराते हुए सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार

भवदीय

(11/10/17)
(एस0एस0श्रीवास्तव)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
कानपुर

पत्रांक

/समदिनांकित।

प्रतिलिपि- मुख्य वन संरक्षक कानपुर मण्डल कानपुर को उनके पत्रांक 1683/22-1 दिनांक 28.09.2017 के क्रम में संलग्न सहित सूचनार्थ प्रेषित।

(एस0एस0श्रीवास्तव)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
कानपुर